PUBLIC NOTICE

M/s Lanco Amarkantak Power Limited ("LAPL"), a generating Company as defined in the Electricity Act, 2003 has been supplying five percent (5%) of net generated power to CSPDCL w.e.f. 17.04.2016 from its 300 MW (Unit 2) coal based thermal power station in Village Pathadi, District, Korba, Chhattisgarh. In this regard, M/s Lanco Amarkantak Power Limited has filed a petition (101/2022) under Section 86(1)(a) read with Section 62 of the Electricity Act, 2003 before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for determination of tariff and truing up for FY 2020-21 & FY 2021-22 against the above power supply. The Petition for determination of tariff has been filed in accordance with CSERC (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2015.

The petitioner has requested for approval of energy charge rate of Rs. 1.604/kWh and Rs. 1.710/kWh for FY 2020-21 and FY 2021-22 respectively for supplying 5% of net generated power of variable cost.

In addition, the Petitioner has also claimed water charges, reimbursement of electricity duty, WRLDC Fees and Charges incurred by the Petitioner corresponding to the 5% power supplied to CSPTrdCL.

Persons intending to file objections/suggestions in this regard may submit objections/suggestions to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur- 492001 (C.G.) email – cserc.sec.cg@nic.in with a copy to Shri Anil Sharma, Executive Director (Commercial & Regulatory), M/s Lanco Amarkantak Power Ltd, Plot No. 397, Udyog Vihar, Phase III, Gurugram, Haryana, PIN– 122016, e-mail - anil.sh@lancogroup.com, Fax: 0124-4747024 within 21 days from publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are also available on the Commission's website: www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition may be obtained by any interested person on any working day between 11:00 AM to 4:00 PM from the Commission's office on payment of Rs. 250/- in cash. The Copy of the petition may also be obtained by post on additional payment of Rs. 50/- towards postal expenses. Date, time and place of the hearing shall be notified by the Commission separately.

Executive Director (Commercial & Regulatory),
M/s Lanco Amarkantak Power Ltd,
Gurugram, Haryana

आम सूचना

विद्युत अधिनियम 2003, के तहत् परिभाषित, मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड (एलएपीएल) जो कि कोयला आधारित 300 मेगावॉट (ईकाई–2) ग्राम पताड़ी जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ में स्थापित एक विद्युत उत्पादक कंपनी है, द्वारा सीएसपीडीसीएल को दिनांक 17.04.2016 से 5% विद्युत आपूर्ति कर रही है। इस संबंध में एलएपीएल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ के निर्धारण एवं सत्यता के लिए सीएसपीडीसीएल को बिजली की उपरोक्त आपूर्ति हेतु विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–62 सहपठित धारा–86(1) एवं आयोग के विनियम ''नियम और शर्तें टैरिफ और शुल्क एवं शुल्क से अपेक्षिम राजस्व के निर्धारण के लिए मल्टी–ईयर टैरिफ सिद्वान्तों और कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया के अनुसार टैरिफ का निर्धारण अधिनियम–2015'' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका (101/2022) दायर की है।

याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में ऊर्जा/परिवर्तनीय शुल्क भारित औसतन दर से क्रमशः रु.1.604/युनीट एवं रु.1.710/युनीट आंकलन किया है जो कि नेट जेनरेटेड पॉवर का 5 प्रतिशत के ऊर्जा अनुमानित प्रभार दर के लिए अनुरोध किया गया है।

इसके आलावा, याचिकाकर्ता ने सीएसपीडीसीएल को आपूर्ति की जाने वाली 5% बिजली के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किये गए जल शुल्क, बिजली शुल्क और WRLDC शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी दावा किया है।

इस संदर्भ में इच्छुक व्यक्ति आपत्तियों/सुझावों को सचिव, छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कालोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 ई–मेल cserc.sec.cg@nic.in एवं/या उपाध्यक्ष, (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन) मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड, प्लाट नम्बर 397, उद्योग विहार चरण–3, गुरूग्राम, हरियाणा, पिन–122016, ई–मेल anil.sh@lancogroup.com पर इस नोटिस के प्रकाशन से 21 दिनों के भीतर भेज सकते हैं।

उपरोक्त याचिका की प्रति www.cserc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है तथापि इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्य दिवस में आयोग के कार्यालय से 250/– रुपये का भुगतान कर 11:00 पूर्वान्ह से शाम 4:00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति पोस्ट द्वारा नकदी में 50/– रुपये डाक शुल्क की अतिरिक्त भुगतान पर भी प्राप्त की जा सकती है।

उक्त याचिका पर छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग इच्छुक व्यक्तियों को सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करेगा। सुनवाई सामान्यतः उन व्यक्तियों की, की जाएगी जिन्होंने लिखित में आपत्तियां/सुझाव प्रस्तुत किया है। आयोग द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक एवं समय पृथक से प्रकाशित करेगा।

उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक और ईंधन प्रबंधन),
मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड,
गुरूग्राम, हरियाणा